संख्या-19/2017/259/22-4-17-104(ब)/98

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक- 31 मार्च, 2017

विषय- नवसृजित जनपद चन्दौली में जिला कारागार के निर्माण के लिए भूमि क्रय करने हेतु प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पत्र संख्या-8957/नम-2, दिनांक- 23 मार्च, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद चन्दौली में जिला कारागार के निर्माण हेतु चयनित काश्तकारों की 30.334 हे0 भूमि क्रय किये जाने के दृष्टिगत पूर्व में स्वीकृत धनराशि रू0-3,50,07,772/- को घटाते हुए (रू0-42,82,83,200-3,50,07,772)= रू0-39,92,75,428/-(रूपये उन्तालीस करोड़ बान्नवे लाख पचहत्तर हजार चार सौ अट्ठाइस मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति एवं रू0-36,22,12,091/-(रूपया छत्तीस करोड़ बाइस लाख बारह हजार इक्यानवे मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत नियमों/शासनादेशों में विहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि जिलाधिकारी के डिपाजिट खाते में रखी जायेगी एवं नियमानुसार केवल वास्तविक आवश्यकता होने पर ही राजकोष से आहरित की जायेगी।

(3) स्वीकृति धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2017 तक कर लिया जायेगा।

3- इस निमित्त होना वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय- 800-अन्य व्यय-09-नवसृजित जनपदों में कारागार के निर्माण हेतु भूमि क्रय के लिए एक मुश्त व्यवस्था-24 वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा ओर उक्त लेखाशीर्षक/मद में उपलब्ध प्रावधान से वहन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई0-12-340/दस/2017, दिनांक 31 मार्च, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-19/2017/259(1)/22-4-17-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) जिलाधिकारी, चन्दौली।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।